MOULDER, FITTER & , ELECTRICIAN, TURNER

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] No. 151

नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2017, शनिवार/चैत्र 26—वैशाख 2, 1939

NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2017, SATURDAY/CHAITRA 26—VAISAKHA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक निवंम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-निवंम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)


गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूहं 'ख' पद भर्ती नियमं, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संशस्त्र सीमा बल ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,-
 - (1) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

2333 GI/2017



- "2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"
- (II) अनुसूची में,-
 - (क) स्तंभ (4) के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
 - (ख) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— स्तर — "6";
 - (ग) स्तम (11) के अधीन प्रविष्टियों में ,-
 - (क) "वेतन बैंड —1, 5200—20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए" शब्दों और अंको के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 5" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
 - (ख) टिप्पण 3, का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 3/4/एसएसबी/सीएससी/एरिया/ जीपी 'बी'/2016/एसएफएस] आर.बी.एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 444(अ), तारीख 14 जून, 2012. द्वारा

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th April, 2017

- G.S.R. 121.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment Rules, 2012, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment Rules, 2012,-
- (I) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
- "2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules",.
- (II) in the schedule,-
- (a) for the heading to column (4), the following heading shall be substituted, namely:

 "Level in the pay matrix":
- (b) for the entries under column(4) the following entry shall be substituted, namely:
 "Level 6":

eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the level rendered appointment their to on regular basis in the level-3 (Rs. 21700-69100/-) or equivalent in the parent cadre/ department; Note 1: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment deputation, Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of

> [F. No. A-12018/15/2015-EPI] B.L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

the receipt of applications.

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह 'ग' तथा 'घ' पद)] भर्ती नियम, 2004, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में

फिटर 'ग', बिजली मिस्त्री, टर्नर, मोल्डर और वेल्डर के पदों पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता .- वह व्यक्ति -
- जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, (क)
- जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं (ख) होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा
- 6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या		
(1)	(2)	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1. फिटर 'ग' 10*(20	17)	(3)	(4)
	र के आधार पर परिवर्तन अ	ाधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2
किया जा	सकता है।	राजपात्रत, अननुसचिवीय	

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	
•		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
(5)	(6)	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अचयन		(/) (i) किसी मान्यता प्राप्त
	वारा पनन-तमय पर जारा किए गर्य	विद्यालय या बोर्ड से 10वीं

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। कक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर व्यवसाय में प्रमाण पत्र।

	सीधे भर्ती किए उसरे करे	T	
	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
	" ग्लंद विश्वत आयु और शैक्षिक	ਵੀਂ	निता का पद्धात, भता सीधे होगी या प्रोन्नति
			। अर्थ पर अतिनियक्ति या आमेत्वन नाम नाम
	लागू होंगी या नहीं		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
1	(0)		रिक्तियों की प्रतिशतता
ŀ	(8)	(9)	
1	लागू नहीं होता।	A Port	(10)
	I	लाधा भता किए जाने वाले	(i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा, जिसके न
		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	होने पर सीधी भर्ती द्वारा और
L			्रां पर पाथा मता द्वारा और
			(ii) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में		
٠.	वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	ा भागान शालात सामात है. ता	भर्ती करने में किन
•	किया जाएगा	उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ
			लोक सेवा आयोग से
	(11)		परामर्श किया जाएगा
	प्रोन्नति:	(12)	(13)
		समूह 'ग' प्रोन्नति और पृष्टि के लिए	लागू नहीं होता।
1	ऐसे फिटर समूह 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से	
1	ापानत सवा का हा	मिलकर बनेगी:-	
	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,		
1	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है	1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय	
1	पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो उन्हों	-11-11 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	
;		वाना संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष	
1	गाएगा परत वह तब तक जब कि उसके टाउर के 🗝 📗	2. किसी भी संकाय के सहायक आचार्य,	
t	रेसी अर्हक और पात्रता सेवा के आधे से अधिक	राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	
L_	ं पत्र पाव से आधिक	3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ	4 8

अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	(3)	(4)
धार पर परिवर्तन समूह	'ग' अराजपत्रित,	
	धार पर परिवर्तन समूह	धार पर परिवर्तन समूह 'ग' अराजपत्रित,

·		the state of the s
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय
		या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण;
	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों	और
	या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और	
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या
	शिथिल की जा सकती है।)	केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
		से इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय में
	टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	प्रमाण-पत्र।
	तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	
	नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	
	खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा	
	जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या	
	लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
	टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले	
	ाटप्पण 2: राजगार कायालय के मध्यम से आने वाल अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	
	निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार	
	कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)		(9)	(10)
लागू नहीं होता	1		(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर
		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	समूह 'ग' प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय	लागू नहीं होता।
ऐसे विद्युत मोटर ड्राइवर अथवा मोटर पम्प	प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
ड्राइवर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित		
सेवा की हो और विद्युत कार्य का ज्ञान हो।	1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी	
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष	
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली		
है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	2. किसी भी संकाय के सहायक आचार्य, राष्ट्रीय	
विचार किया जाएगा परंतु वह तब तक जब कि	चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	
उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक और पात्रता सेवा		
के आधे से अधिक अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो	3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी	
भी कम हो, से कम नहीं तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा	अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	
पहले ही पूर्ण कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड	- सदस्य	
में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक		
पूरी कर ली हो।		

	(1)	(2)	(3)	(4)
J	∕3. वेल्डर	02*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2 •
		*कार्यभार के आधार पर	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
L		परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या
		बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या
	अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा	केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की	वेल्डिंग व्यवसाय में प्रमाण-पत्र।
	दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	
	टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	
	तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	
	नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम	
	तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	
	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले	
	तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार	
	द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

	(11)	(12)	(13)
	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बंध में विचार	लागू नहीं होता।
		करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
		1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी	
		संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष	
		2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	
		- सदस्य	
**		3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी	
		अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	

	(1)	(2)	(3)	(4)
	्4. मोल्डर	01*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर 2
Y		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	समूह 'ग' अराजपत्रित,	
		किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	

	(5)	(6)	(7)
	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यताप्राप्त
			विद्यालय या बोर्ड से 10वीं
		(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों	कक्षा उत्तीर्ण; और
		या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, विभागीय	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण
		अभ्यर्थियों के लिए समान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक	संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक
		तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	प्रशिक्षण संस्थान से मोल्डिंग में
ŀ		की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	व्यवसाय प्रमाण-पत्र और
		टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	मोल्डर के रूप में फाउंडरी में
		नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख	तीन वर्ष का अनुभव।
		जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
		नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	
1	***	खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा	
		जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या	
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
नहीं का जिल्हा विकास	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और
		(2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)(12)(13)प्रोन्नति: ऐसे लोहार जिन्होंने उस प्रोन्नति और पृष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता। श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-हो और जिनके पास मोल्डिंग का (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी अनुभव हो। संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने कानपुर अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी - सदस्य कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब संस्थान, कानपुर - सदस्य कि उसके द्वारा की गई ऐसी अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं और जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	(1)	(2)	(3)	(4)
٠,/	5. टर्नर	03*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	स्तर 2
		*कार्यभार के आधार पर	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
		परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या
		बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय में प्रमाण-पत्र।

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(0)		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।		(10)
<u>। या पुनिहासा।</u>	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

		<u></u>	
į	(11)	(12)	(13)
	लागू नहीं होता।	पोस्रति और एकि के किए कि के 2000	
	2 6 6 6	प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
		निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
		1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी	
		संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष	
1			
1			
1		2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	
		- सदस्य	
1			
		3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी	
		अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी	
L		संस्थान, कानपुर - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/16/2016-एस ए]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

608

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'C' and 'D' posts)] Recruitment Rules, 2004, insofar as they relate to the posts of Fitter 'C', Electrician, Turner, Moulder and Welder, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Fitter 'C', Electrician, Turner, Moulder and Welder, in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
	(1)	(2)	(3)	(4)
ĺ	1. Fitter 'C'	10* (2017)	General Central Service,	30.012
		*Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years	(i) 10 th standard pass from a
The second secon	(Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and up to 45	recognised school or Board; and
	years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued	(ii) Fitter trade certificate from Industrial Training Institute or the Central Industrial Training
	by the Central Government from time to time).	Institute.

Note 1: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8) Not applicable	(9) Two years for direct recruits.	(10) (i) 33.33% by promotion, failing which by direct recruitment and (ii) 66.67% by direct recruitment.

			Co. S. Mariata
[In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances under which
	promotion or deputation or	what is its composition.	Union Public Service
	absorption, grades from which		Commission is to be consulted
	promotion or deputation or		in making recruitment.
-	absorption to be made.		(12)
٠	(11)	(12)	(13)
Ì	Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
	Fitter Group 'D' with three years	for promotion and confirmation consisting of:-	
	regular service in the grade.		
		1. Senior Administrative Officer, National Sugar	
ĺ	Note: - Where juniors who have	Institute, Kanpur - Chairman	
	completed their qualifying or		
	eligibility service are being	2. Assistant Professor of any discipline, National	
	considered for promotion, their	Sugar Institute, Kanpur - Member	
	seniors shall also be considered		
	provided they are not short of	3. Technical Officer or Junior Technical Officer,	
	requisite qualifying or eligibility	National Sugar Institute, Kanpur Member	A 6
	service by more than half of such		
	qualifying or eligibility service		
	or two years, whichever is less,		
	and have successfully completed		
	their probation period for		
	promotion to the next higher		
^	grade, along with their juniors,		
	who have already completed		
٠	such qualifying or eligibility		
	service.		

(1) 2. Electrician	(2) 04* (2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	(4) Level 2	
	dependent on work-load.	Non-Ministerial.		ľ.

Non-selection (5)	(6)	
TOIL-SCIECTION.	Between 18 and 25 years	(7)
	(Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45	(i) 10 th standard pass from a recognised school or Board; and
	years in the case of candidates	
	belonging to the Scheduled Castes	
	and Scheduled Tribes:	ii) trade certificate in Electrician from
	and Scheduled Tribes in accordance	midustrial training Institute on the
	with the instructions or orders issued	Central Industrial Training Institute.
	by the Central Government from time to time).	matitute.
	Note 1: The crucial date for	
	ucterining the age-limit shall to the	
[* -	Clusting date for receipt of continuity	
	from candidates in India (and not the	
	closing date prescribed for those in	
The state of the s	Assam, Meghalaya, Arunachal	
1	Drodock Tituliacilai	
1	Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
1	Division of Jammu and Kashmir	
\ \frac{1}{5}	State Labout and Carrie Di	
	State, Lahaul and Spiti District and	
T	Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh	
Ā	Instrict of Himachal Pradesh,	
1	andaman and Nicobar Islands or akshadweep).	
	aksnadweep).	
N	oto 2. In and C	
F,	ote 2: In case of post filled through	
(inpluying it Exchanges the	
, da	uc 101 determining the age timit	
511	all UC IDE Closing data by Link	
I DII	ilployment Exchanges are oclosed to	
Sul	bmit names.	

(9) Two years for direct (i) recruits.	promotion, failing which by dimen
(ii	recruitment; and i) 50% by direct recruitment.

•	Promotion: (11)	(12)	(13)
•	Electric Motor Driver or Motor Pump Driver with three years' regular service in the grade and possessing knowledge of electrical work.	considering of:-	Not applicable.
	Note:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors	Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman Assistant Professor National Sugar Institute, Kanpur - Member	
1	shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of	3 Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. Member	

such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Welder	02* (2017)	General Central Service,	Level 2
	* Subject to variation	Group 'C' Non-Gazetted,	
	dependent on work-load.	Non-Ministerial.	

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years	(i) 10 th standard pass from a
		recognised school or Board; and
	(Relaxable for departmental	
	candidates up to 40 years in the case	
	of general candidates and upto 45	(ii) trade certificate in Welding from
	years in the case of candidates	Industrial Training Institute or th
	belonging to the Scheduled Castes	Central Industrial Training.
	and Scheduled Tribes in accordance	
And the second second	with the instructions or orders issued	
	by the Central Government from time	
	to time).	
	to time).	
	Note 1: The crucial date for	
	determining the age-limit shall be the	
	closing date for receipt of applications	
	from candidates in India (and not the	
	closing date prescribed for those in	
	Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
	Division of Jammu and Kashmir	
	State, Lahaul and Spiti District and	
	Pangi Sub-Division of Chamba	
	District of Himachal Pradesh,	
	Andaman and Nicobar Islands or	
	Lakshadweep).	
of the second of		
	Note 2: In case of post filled through	1
	Employment Exchanges the crucial	
	date for determining the age limit	
	shall be the closing date by which the	
	Employment Exchanges are asked to	
	submit names.	

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.

	(12)	(13)
Not applicable De	epartmental Promotion Committee (for	Not applicable.
	onfirmation), consisting of:-	
1.	Senior Administrative	
	Officer, National Sugar Institute, Kanpur	
	- Chairman	

Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member	
Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur Member	

(1)		
4. Moulder 01* (2017) * Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2
on work-load.		

(5)		
Non-selection	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years	
		(i) 10th standard pass from a
	(Relaxable for departmental candidates up to	recognised school or Board
	40 years in the case of general candidates and	Banda Serioof of Bould.
	upto 45 years in the case of candidates	
	belonging to the Scheduled Castes and	(1) Trade certificate in Moulding from
	Scheduled Tribes in accordance with the	industrial Training Institute or the
	instructions or orders issued by the Central	
	Government from time to time).	Institute with three years' work
	Note 1: The crucial date for determining the	experience in foundry as Moulder.
	age-limit shall be the closing date for receipt of	
	applications from candidates in India (and not	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the closing date prescribed for those in Assam,	
	Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	
	Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	
	Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul	
	and Spiti District and Pangi Sub-Division of	
	Chamba District of Himachal Pradesh,	
	Andaman and Nicobar Islands or	
	Lakshadweep).	
	Note 2: In case of post filled through	
	Employment Exchanges the crucial date for	
	determining the age limit shall be the closing	
	date by which the Employment Exchanges are	
	asked to submit names.	

	(8)		(9)	<u> </u>	(10)	7
	No		Two years for direct recruits.	(i).	50% by promotion, failing which by	1
ı		- *			direct recruitment; and	
Į				(ii)	50% by direct recruitment.	

(11)	(12)	
Promotion:		(13)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Departmental Promotion Committee for	Not applicable.
Blacksmiths with three years' regular	promotion and confirmation, consisting of:-	,
service in the grade and possessing		
experience of moulding.	1. Senior Administrative Officer, National	
Note 1:- Where juniors, who have	Sugar Institute, Kanpur - Chairman	•
completed their qualifying or	Gugar Harriato, Kanpur - Chairman	
eligibility service are being	2 Assistant D. C. DV. 10	
considered for any	2. Assistant Professor, National Sugar Institute,	
considered for promotion, their	Kanpur - Member	
seniors shall also be considered		
provided they are not short of	3. Technical Officer or Junior Technical Officer,	
requisite qualifying or eligibility	National Sugar Institute, Kanpur Member	
service by more than half of such	Tradonal Sugai Histitute, Kanpur Member	
qualifying or eligibility service or		
two years' whichever is large		
two years, whichever is less, and		

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

A	the state of the state of			(4)	
5.	(1) Turner	(2) 03* (2017) * Subject to variation dependent on work-load.	(3) General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2	

	(6)	(7)
Non-selection	(6) Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) 10 th standard pass from a recognised school or Board; and
	Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and	
	Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	

	(10)	
	(10)	
	(0)	
- 1	(9)	
	(8) By direct recruitment.	. 1
	Two years.	
	Not conficeble 1 WO years.	
	Not applicable . I wo years.	

		(13)	1
(11) Not applicable	(12) Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation, consisting of:- 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable.	
	Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member		
1		The state of the s	

[F. No. A-12018/16/2016-SA] RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.